दिनांक 29.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 43/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

23 वर्ष से फरार चल रहे निर्भय गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य व 50,000/–रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त बबलू उर्फ टाइगर उर्फ जितेन्द्र गिरफ्तार

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी की अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्णा के** निर्देशन में कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा 23 वर्ष से फरार चल रहे निर्भय गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य व 50,000/–रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त बबलू उर्फ टाइगर उर्फ जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

थाना डौकी पुलिस टीम द्वारा दिनॉकः 29.09.2025 को थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग/तलाश की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति जो संदिग्ध लग रहा है जिसके पास अवैध हथियार भी हो सकता है। नगला देवहंश के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा है पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये अभि० बबलू उर्फ टाइगर उर्फ जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जीवित कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। जिस सम्बन्ध में थाना डौकी पर मु0अ0सं0–157/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियुक्त वर्ष 2002 में ग्राम राठोरी थाना पिढौरा आगरा के हरिओम उर्फ कल्ला के अपहरण के मामले में वांछित चल रहा था।

पूछताछ का विवरणः–

पुलिस टीम द्वारा पूछतांछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपना नाम बबलू उर्फ टाइगर उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवकुमार उर्फ राजकुमार बताया गया। अभि० द्वारा बताया गया कि वह निर्भय गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है, गैंग का मुखिया निर्भय गुर्जर था। उक्त दोनो लोग पैसे वाले लोगो का अपहरण करते थे और उनसे फिरौती वसूलते थे अभि० का कार्य अपहरण करने वाले व्यक्ति की रेकी कर उस व्यक्ति को साथियों के साथ अपहरण करना व उक्त पकड़ (अपहृत) को चम्बल के बिहड़ में

पहुँचाने का होता था। उक्त अपहरण की फिरौती गैंग का मुखिया निर्भय गुर्जर वसूलता था और अभियुक्त का हिस्सा अभियुक्त को मिल जाता था। अभि० द्वारा वर्ष 2002 में राठोरी गाँव के हरिओम उर्फ कल्ला का अपहरण किया गया था, जिसके चलते गैंग के मुखिया को पुलिस द्वारा मुठभेड मे मार दिया गया था जिसके बाद अभियुक्त भूमिगत हो गया था, आज अभियुक्त एक दूध व्यापारी के अपहरण के लिए उसकी रेकी करने के लिए डौकी क्षेत्र मे आया था जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरणः—

बबलू उर्फ टाइगर उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवकुमार उर्फ राजकुमार निवासी सैंथा थाना गजनेर जिला कानपुर देहात हाल निवासी जसपुर थाना जसपुर जिला बांदा।

आपराधिक इतिहासः—

01— मु0अ0स0ं 157/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डौकी कमिश्नरेट आगरा।

02—मु0अ0सं 19/2002 धारा 364 ए भादवि थाना पिढौरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी का विवरणः—

01— 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर।

02— 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

पुलिस टीम का विवरणः—

01— थानाध्यक्ष श्री योगेश कुमार थाना डौकी कमिश्नरेट आगरा।

02— उ0नि0 श्री धनेश कुमार थाना डौकी कमिश्नरेट आगरा।

03— का0 राजीव पारशर, का० सुमित कुमार, थाना डौकी कमिश्नरेट आगरा।

दिनांक 29.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 44/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहगढ़/थाना कमालगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.09.2025 को थाना कमालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भोजपुर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अर्पित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, शाहजहाँपुर, कन्नौज के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कमालगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में कमालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अर्पित निवासी बबरापुर थाना गुरसहायगंज जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 29.09.2025 को थाना सैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहमलपुर के पास बदमाशों की घेरा बन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–चन्द्रभान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–पवन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त चन्द्रभान शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजीपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गाजीपुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चन्द्रभान निवासी ग्राम बरिया थाना करंडा जनपद गाजीपुर।

2–पवन निवासी ग्राम बरिया थाना करंडा जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 लाख 45 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के पीली (81.58 ग्राम)–सफेद (01 किलो 103 ग्राम) धातु के आभूषण**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 29.09.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुईकोल मोड़ के पास से 05 अभियुक्तों 1–राहुल 2–अनीस 3–मोहम्मद शोएब 4–आरिफ अब्दुल 5–अब्दुल अलीम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 लाख 45 हजार रूपये नगद, चोरी के पीली (81.58 ग्राम)–सफेद (01 किलो 103 ग्राम) धातु के आभूषण, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी उत्तर टोला वार्ड नं0–5 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।

2–अनीस निवासी उत्तर टोला वार्ड नं0–5 थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।

3–मोहम्मद शोएब निवासी भटकल थाना टाऊन जनपद कारवार, कर्नाटक।

4–आरिफ अब्दुल निवासी भटकल थाना टाऊन जनपद कारवार, कर्नाटक।

5–अब्दुल अलीम निवासी भटकल थाना टाऊन जनपद कारवार, कर्नाटक।

बरामदगी

1–चोरी के 05 लाख 45 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के पीली (81.58 ग्राम)–सफेद (01 किलो 103 ग्राम) धातु के आभूषण।

3–01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना अनपरा

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के सोने के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 29.09.2025 को थाना अनपरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अनपरा से कुबरी पहाड़ी जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सिंकदर कुमार 2–अमरदीप घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–रविन्द कुमार 4–विपिन कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के सोने के आभूषण, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.09.2025 को थाना अनपरा क्षेत्रान्तर्गत धोखाधड़ी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अनपरा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि धोखाधड़ी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अनपरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सिंकदर कुमार निवासी समेली थाना कुरसेला जनपद कटिहार बिहार।

2–अमरदीप निवासी समेली थाना कुरसेला जनपद कटिहार बिहार।

3–रविन्द कुमार निवासी समेली थाना कुरसेला जनपद कटिहार बिहार।

4–विपिन कुमार निवासी ग्राम भुआ परवल थाना रूपौली जनपद पूर्णिया बिहार।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के सोने के आभूषण।

2–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–02 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद बहराइच/थाना सुजौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना सुजौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 115(2)/137(2) भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अविनाश उर्फ सिंपल को आजीवन कारावास व 01 लाख 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हनीफ को आजीवन कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना रामकोला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राहुल 2–राजन 3–सचिन 4–गोलू को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शामली/थाना झिंझाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 36 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शामली द्वारा थाना झिंझाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/305/354/342 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आकाश को 20 वर्ष के कारावास व 36 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना मनकापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 53 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/324/506 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त खदेरू को 20 वर्ष के कारावास व 53 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।